

पत्रांक-5/बी01-44/2016.....

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

भरत राम,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)
संलग्न विवरणी अनुसार

पटना, दिनांक

विषय :- योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत बालक अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कुल रूपये **32,91,20,000/-** (बत्तीस करोड़ इक्यानवें लाख बीस हजार रूपये) मात्र राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना, विषय शीर्ष-34 01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड संख्या-पी 2202027890101 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल राशि रू0 **32,91,20,000/-** (बत्तीस करोड़ इक्यानवें लाख बीस हजार रूपये) मात्र आपको संलग्न विवरणी अनुसार आवंटन आवंटित की जाती है।

- 2 यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 423 दिनांक-31.03.2016, 2793 दिनांक-04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
3. उपर्युक्त आवंटन स्वीकृति संख्या-65 दिनांक-27.01.2017 के आलोक में आवंटित है।
4. इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृति संख्या-65 दिनांक-27.01.2017 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जाय।
- 5 आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनाहीनता की पूरी जिम्मेवारी सर्वोच्च निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं सम्झा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
8. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट गुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सकें।
10. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
12. उक्त विपत्र कोड के विषय शीर्ष-34 01-छात्रवृत्ति/वजीफा में प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा 10,00,000/- (दस लाख रूपये) मात्र का अतिरिक्त उपबंध कराया गया है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(भरत राम),

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 237

पटना, दिनांक:- 30/11/17

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:-संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(भरत राम),

सरकार के उप सचिव।

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, विषय शीर्ष-34 01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड संख्या-पी 2202027890101 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिलावार अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	पूर्व में आवंटित राशि (रु० में)	एस०सी०/एस०टी० छात्रों की संख्या	तत्काल आवंटित राशि (छात्रों की संख्या X 2500/- रुपये प्रति छात्र) रुपये में	कुल आवंटित राशि (रु० में)
1	2	4	5	6	7
1	पटना	0	5011	12527500	12527500
2	नालन्दा	0	4063	10157500	10157500
3	भोजपुर	0	4062	10155000	10155000
4	बक्सर	0	3207	8017500	8017500
5	रोहतास	0	5217	13042500	13042500
6	कैमूर	0	1642	4105000	4105000
7	गया	0	7272	18180000	18180000
8	जहानाबाद	0	486	1215000	1215000
9	नवादा	0	2044	5110000	5110000
10	औरंगाबाद	0	3943	9857500	9857500
11	अरवल	0	1550	3875000	3875000
12	मुजफ्फरपुर	0	5660	14150000	14150000
13	वैशाली	0	6816	17040000	17040000
14	पूर्वी चम्पारण	0	4951	12377500	12377500
15	प० चम्पारण	0	6355	15887500	15887500
16	सीतामढ़ी	0	2583	6457500	6457500
17	शिवहर	0	670	1675000	1675000
18	सारण	0	5776	14440000	14440000
19	सिवान	0	4130	10325000	10325000
20	गोपालगंज	0	5049	12622500	12622500
21	दरभंगा	0	4874	12035000	12035000
22	मधुबनी	0	7887	19717500	19717500
23	समस्तीपुर	0	6360	15900000	15900000
24	सहरसा	0	2372	5930000	5930000
25	मधेपुरा	0	2520	6325000	6325000
26	सुपौल	0	3187	7917500	7917500
27	पुर्णिया	0	3183	7907500	7907500
28	कटिहार	0	872	2180000	2180000
29	किशनगंज	0	535	1387500	1387500
30	अररिया	0	1372	3480000	3480000
31	भागलपुर	0	3773	9445000	9445000
32	बांका	0	2210	5525000	5525000
33	मुर्गौर	0	1979	4947500	4947500
34	बेगूसराय	0	4372	10955000	10955000
35	खगड़िया	0	2105	5262500	5262500
36	जमूई	0	2374	5935000	5935000
37	लखिसराय	0	770	1925000	1925000
38	शेखपुरा	0	660	1650000	1650000
	कुल	0	13118	329120000	329120000

(बत्तीस करोड़ एक सत्रह लाख बीस हजार) रुपये मात्र।

(सहस्र) 20/17

सरकार के उप सचिव।